



कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार



परामर्शी के चयन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06/2011-12

- 1 विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार
- 2 निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय:- 12 दिसम्बर' 2011, समय-01:00 बजे अपराह्न तक
- 3 निविदा प्राप्ति का स्थान:- कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार
- 4 निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 12 दिसम्बर' 2011, समय- 03:00 बजे अपराह्न
- 5 निविदा खोलने का स्थान:- उपायुक्त, लातेहार का कार्यालय वेश्म
- 6 निविदा से संबंधित कार्य का विवरण- नगर पंचायत, लातेहार के क्षेत्र में निम्नांकित विकास योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परामर्शियों के चयन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है-

गुप संख्या	कार्य का नाम	भूमि का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Construction of Market Complex -cum-Marriage Hall-cum-Dharmashala	2.10 एकड़	दो माह
2	Construction of Park.	2.00 एकड़	दो माह

7 निविदा की अन्य शर्तें :

- I. प्रत्येक निविदाता के द्वारा अलग-अलग लिफाफे में **Technical Bid** एवं **Financial Bid** समर्पित किया जायेगा जिसमें मो0-10000.00 (दस हजार) रूपये का सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के द्वारा जमा किया जायेगा जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से भुगतान होगा। **Technical Bid** के खोलने के उपरांत सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही संबंधित निविदादाता का **Financial Bid** खोला जायेगा।
- II. निविदादाताओं के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित निविदा निष्पादन समिति के द्वारा निविदा का निष्पादन किया जायेगा एवं तदनुसार **Rat of Contract** निर्धारित किया जायेगा।
- III. इस निविदा में वही परामर्शी प्रतिष्ठान भाग लेंगे जो झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग में निबंधित/सूचिबद्ध होंगे। तदनुसार निविदादाता को इस क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- IV. निविदादाताओं को अपने प्रतिष्ठान के लिये विगत तीन वर्षों के **financial transactions** का विवरण **Audit Report** के साथ समर्पित करना होगा।
- V. निविदादाताओं को विगत तीन वर्षों के लिये **Commercial & Sales Tax** का शुद्धता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- VI. निविदादाताओं को विगत तीन वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- VII. निविदादाताओं को **Notary Public** से निर्गत शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि निविदा प्रकाशन की तिथि तक उनके प्रतिष्ठान को किसी स्तर से काली सूची में नहीं डाला गया है।

- VIII. निविदादाता परामर्शी प्रतिष्ठान को निविदा खोलने के समय निविदा समिति के समक्ष स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपना **Concept Plan** प्रदर्शित करना होगा।
- IX. निविदा निष्पादन समिति के द्वारा चयनित परामर्शी के द्वारा उक्त विकास योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार किये जाने एवं इसके समर्पित किये जाने के उपरांत नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में चयनित परामर्शी के द्वारा समर्पित दावे की राशि का भुगतान नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार से स्वीकृति के उपरांत किया जायेगा।
- X. चयनित निविदादाता को डी0पी0आर0 तैयार करने के लिये किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- XI. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- XII. इस मामले में न्यायालय से संबंधित वादों का निष्पादन लातेहार जिला के न्यायालय में ही किया जा सकेगा।

४९-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापांक 905/ दिनांक 21-11-11

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संवाददाता दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर, एवं आज, लातेहार को उपरोक्त निविदा के प्रकाशन हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन 2000.00 (दो हजार) रू0 के अंतर्गत ही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0 लातेहार को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सरकार के उपसचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रकाशित 21/11/11
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।